भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *37
दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी किसानों के लिए राजसहायता संबंधी योजनाएं

***37 श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः**
श्रीमती शांभवीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से देश में डेयरी किसानों के लिए सरकारी राजसहायता संबंधी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है और डेयरी फार्मिंग के लिए आबंटित कुल कृषि राजसहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) ऐसे छोटे और सीमांत किसानों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2021 से डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत राजसहायता का लाभ उठाया है;

(ग) डेयरी फार्मिंग राजसहायता का विस्तार करने और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सरकार द्वारा की गई निजी-सार्वजनिक भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उपलब्ध राजसहायता के संबंध में डेयरी किसानों के बीच जागरूकता फैलाने और राजसहायता के माध्यम से पशुओं की अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की राजसहायता-समर्थित दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करके डेयरी निर्यात बढ़ाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''डेयरी किसानों के लिए राजसहायता संबंधी योजना'' के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) में वर्ष 2021 से डेयरी किसानों के लिए कोई सब्सिडी योजना नहीं है। हालाँकि, डीएएचडी बोवाइन पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पशु आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** आरजीएम को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमुख घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

   (i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

   (ii) बोवाईन आबादी के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स सार्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

   (iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है और

   (iv) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना घटक के अंतर्गत, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं के उत्पादन हेतु उद्यमियों को 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे डेयरी किसानों को ऐसे पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है ।

2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया गया है:

   (i) एनपीडीडी योजना का **घटक 'क'** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए शीतलन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों हेतु अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

   (ii) एनपीडीडी योजना का **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना के उन्नयन तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना है।

3. **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और समय पर भुगतान के लिए अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

4. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** : एएचआईडीएफ योजना के तहत पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।

5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** इसका उद्देश्य उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसरंचना हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर गहन ध्यान केंद्रित करना है।

6. **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है, ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

****